सं: 1:05:138:II:सीएस
दिनांक: 13 अगस्त, 2020

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001

विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम

महोदया/महोदय,

हमारे दिनांक 4 अगस्त, 2020 एवं 10 अगस्त, 2020 के पूर्ववर्ती पत्र के अनुक्रम में, आपको सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज दिनांक अगस्त 13, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित पर विचार किया एवं उसे अनुमोदित किया:

1. **दिनांक 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित)**

तदनुसार, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, दिनांक 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित) के साथ उस पर हमारे सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न हैं।

2. **घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से ऋण सीमा के संवर्धन हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180(1)(ए) एवं 180(1)(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है:**

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के प्रावधानों के अनुसार और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के निदेशक मंडल ने अनुमोदन प्रदान किया है कि कंपनी के व्यवसाय के अपेक्षानुसार और/या मंत्रालय/भारत सरकार की ओर से अर्जन के निदेशानुसार कंपनी समय-समय पर इस तरह की राशि या धन प्रतिभूति के साथ और उसके बिना अर्जित कर सकती है या ऋण ले सकती है, जो इस बात के बावजूद होगा कि कंपनी द्वारा पहले से लिए गए ऋण के धन के साथ-साथ ऋण लिया जाने वाला धन (व्यवसाय के साधारण अवधि में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋणों के अतिरिक्त) प्रदत्त पूंजी के कुल योग और इसके नि: शुल्क रिसर्व से अधिक होगा (कहने का तात्पर्य यह है कि रिसर्व किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं है), बशर्ते कि किसी भी समय ऋण ली गई और बकाया कुल राशि भारतीय मुद्रा में 6,00,000 करोड़ रुपए (छह लाख करोड़ रुपए मात्र) से अधिक न हो तथा ऐसी निबंधन एवं शर्तों

पर किसी भी विदेशी मुद्रा में 15,000 मिलियन अमरीकी डॉलर (15 बिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) के बराबर राशि हो, जिसे बोर्ड आवश्यक मानता है और अपने पूर्ण विवेक पर विचार कर सकता है।

ख) इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180(1)(ए) के प्रावधानों के अनुसार और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के निदेशक मंडल ने भारतीय मुद्रा में 6,00,000 करोड़ रुपए (छह लाख करोड़ रुपए मात्र) और किसी भी विदेशी मुद्रा में 15 बिलियन अमरीकी डॉलर (15 बिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) के बराबर राशि के ऋण (कंपनी की बहियों में बकाया) की प्रतिभूति हेतु कंपनी की सभी या किसी वर्तमान और भावी दोनों चल और/या अचल संपत्तियों अथवा कंपनी के पूर्ण या पर्याप्त रूप से पूर्ण उपक्रम या उपक्रमों को मोर्टगेज और/या चार्ज करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड बैठक अपराहन 1 बजे शुरू होकर .... बजे समाप्त हुई।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

(मनोहर बलवानी)
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com